



ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય  
(ભારત કી સંસદ કે અધિનિયમ સં. 25, 2009 કે તહત સ્થાપિત)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F. No. 71-2/2023- રા.પ્ર./**76**

19/01/2024

પરિપત્ર સંખ્યા - 19/રા.પ્ર.-2023-24

વિષય: હિંદી મેં અધિક સે અધિક કાર્યાલયી કાર્ય કરને કે સંદર્ભ મેં।

સંદર્ભ: 1. દિનાંક 25/10/2023 કી પરિપત્ર સંખ્યા- 14/રા.પ્ર.-2023-24।

રાજભાષા પ્રકોષ્ઠ રાજભાષા વિભાગ, ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા હિંદી ભાષા કે પ્રોત્સાહન કે લિએ સમય-સમય પર જારી દિશા-નિર્દેશોં કા પાલન કરને ઔર કાર્યાલય મેં હિંદી કે પ્રયોગ કો બઢાવા દેને કે લિએ પ્રતિબદ્ધ હૈ। વિશ્વવિદ્યાલય કી રાજભાષા કાર્યાન્વયન સમિતિ કી ઘ્યારહવીં બૈઠક દિનાંક 12/12/2023 કો આયોજિત કી ગઈ થી। ઇસ બૈઠક મેં માનનીય કુલપતિ દ્વારા વિશ્વવિદ્યાલય કે સભી કર્મચારીયોં કો નિર્મલિખિત બિન્દુઓં પર કાર્ય કરને કા પ્રયાસ કરને કે લિએ કહા ગયા હૈ:-

1. કાર્યાલય મેં અધિક સે અધિક કાર્ય જૈસે ટિપ્પણી લેખન, નોટ લેખન ઇત્યાદિ હિંદી મેં કિયા જાએ।
2. રાજભાષા અધિનિયમ 1963 કી ધારા 3(3) કે અંતર્ગત ઉલ્લિખિત કાગજાતોં કો અનિવાર્ય રૂપ સે દ્વિભાષી રૂપ મેં જારી કિયા જાએ।
3. રાજભાષા નિયમ, 1976 મેં ઉલ્લિખિત નિયમ સંખ્યા 5 (હિંદી મેં પ્રાસ પત્રાદિ કે ઉત્તર હિંદી મેં દિએ જાએ), 6 (હિંદી ઔર અંગ્રેજી દોનોં કા પ્રયોગ) ઔર 12 (અનુપાલન કા ઉત્તરદાયિત્વ) કા અનુપાલન કિયા જાએ।
4. વિશ્વવિદ્યાલય સે બાહર અંગ્રેજી મેં ભેજે જાને વાલે પત્રોં કી એક પ્રતિ રાજભાષા પ્રકોષ્ઠ મેં અનિવાર્ય રૂપ સે દી જાએ તાકિ ઉનકા હિંદી મેં અનુવાદ કિયા જા સકે।
5. હિંદી જ્ઞાન સંબંધી પ્રપત્ર ભરકર શીଘ્ર અતિ શીଘ્ર રાજભાષા પ્રકોષ્ઠ મેં જમા કિયા જાએ।

યાં પરિપત્ર સક્ષમ પ્રાધિકારી કે અનુમોદન સે જારી કિયા ગયા હૈ।

*ડૉ. ભીરું પટેલ*  
કુલસચિવ (કાર્યવાહક)

સંલગ્ન:

- (1) રાજભાષા નિયમ, 1976 કી નિયમ સંખ્યા 5, 6 ઔર 12।
- (2) રાજભાષા અધિનિયમ 1963 કી ધારા 3(3) કે અંતર્ગત જારી કાગજાત કી સૂચી।



ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય  
(ભારત કી સંસદ કે અધિનિયમ સં. 25, 2009 કે તહત સ્થાપિત)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

---

પ્રતિ (ઇ-મેલ દ્વારા):

1. સભી અધિષ્ઠાતા
2. છાત્ર કલ્યાણ અધિષ્ઠાતા
3. પ્રોવોસ્ટ
4. પ્રોક્ટર
5. વિજ્ઞ અધિકારી (કાર્યવાહક)
6. પરીક્ષા નિયંતા (કાર્યવાહક)
7. સભી ઉપ કુલસચિવ એવં સહાયક કુલસચિવ
8. આંતરિક કાર્ય વિભાગ
9. ખેલ કાર્યાલય
10. સભી અધ્યક્ષ, સમન્વયક ઔર વિભાગાધ્યક્ષ
11. સભી શૈક્ષણિક એવં ગૈર-શૈક્ષણિક કર્મચારી
12. સૂચના એવં સંચાર પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ- વિશ્વવિદ્યાલય કી વેબસાઇટ પર અદ્યતિત કરને હેતુ।
13. આચાર્ય પ્રભારી પુસ્તકાલય
14. સભી વાર્ડન
15. સભી કેંદ્ર એવં પ્રકોષ્ટ
16. કુલપતિ સચિવાલય- માનનીય કુલપતિ કી સૂચનાર્થ
17. અધિસૂચના ફાઇલ
18. સભી સૂચના પદ્દ, સેક્ટર- 29 એવં 30

---

સેક્ટર-29, ગાંધીનગર-382030, ફોન નં - 07923977407, ફેક્સ-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: [registrar@cug.ac.in](mailto:registrar@cug.ac.in), website: [www.cug.ac.in](http://www.cug.ac.in)



ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય  
(ભારત કી સંસદ કે અધિનિયમ સં. 25, 2009 કે તહત સ્થાપિત)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

25/10/2023

फા.ક્ર. 71-2/2023- રા.પ્ર./49

પરિપત્ર સંખ્યા - 14/રા.પ્ર.-2023-24

વિષય: હિંદી જ્ઞાન સંબંધી પ્રપત્ર ભરને કે સંદર્ભ મેં।

સંદર્ભ: સક્ષમ પ્રાધિકારી દ્વારા દિનાંક 02/09/2023 કો અનુમોદિત।

રાજભાષા પ્રકોષ્ઠ દ્વારા રાજભાષા વિભાગ, વિશ્વવિદ્યાલય અનુદાન આયોગ એવં નગર રાજભાષા કાર્યાન્વયન સમિતિ કો સંસ્થાન મેં રાજભાષા હિંદી કે કાર્યાન્વયન કી સૂચના પ્રતિવેદન કે રૂપ મેં અનિવાર્ય રૂપ સે ભેજી જાતી હૈ। ઇસમેં વિશ્વવિદ્યાલય કે સભી કર્મચારીયોં કી હિંદી જ્ઞાન સંબંધી જાનકારી ભી ભરની આવશ્યક હૈ। ઇસ સંદર્ભ મેં, સભી શૈક્ષણિક એવં ગૈર-શૈક્ષણિક કર્મચારીયોં સે અનુરોધ હૈ કી સંલગ્ન પ્રપત્ર મેં હિંદી ભાષા સંબંધી જ્ઞાન કી જાનકારી ભરકર ઔર હિંદી મેં હસ્તાક્ષર કરકે 20 નવંબર, 2023 તક રાજભાષા પ્રકોષ્ઠ (પ્રશાસનિક ખંડ, કમરા સંખ્યા-23) મેં જમા કરવાને કા કષ્ટ કરો।


યાં પરિપત્ર સક્ષમ પ્રાધિકારી કે અનુમોદન સે જારી કિયા ગયા હૈ।

શ. બ્રા. ૫૩૮  
૨૦૨૩/૧૦/૧૮  
કુલસચિવ (કાર્યવાહક)

સંલગ્ન: હિંદી જ્ઞાન સંબંધી પ્રપત્ર

પ્રતિ (ઇ-મેલ દ્વારા):

1. સભી અધિષ્ઠાતા
2. છાત્ર કલ્યાણ અધિષ્ઠાતા
3. પ્રોવોસ્ટ
4. પ્રોફ્ટર
5. વિદ્ય અધિકારી (કાર્યવાહક)
6. પરીક્ષા નિયંત્રક (કાર્યવાહક)
7. સભી ઉપ કુલસચિવ એવં સહાયક કુલસચિવ
8. આંતરિક કાર્ય વિભાગ
9. ખેલ કાર્યાલય
10. સભી અધ્યક્ષ, સમન્વયક ઔર વિભાગાધ્યક્ષ
11. સભી શૈક્ષણિક એવં ગૈર-શૈક્ષણિક કર્મચારી
12. આઈસીટી વિભાગ- વિશ્વવિદ્યાલય કી વેબસાઇટ પર અપલોડ કરને હેતુ।
13. આચાર્ય પ્રભારી પુસ્તકાલય
14. સભી વાર્ડન
15. સભી કેંદ્ર એવં પ્રકોષ્ઠ
16. કુલપતિ સચિવાલય- માનનીય કુલપતિ કે સૂચનાર્થ
17. અધિસૂચના ફાઇલ
18. સભી સૂચના પદ્ધ, સેક્ટર- 29 એવં 30



સેક્ટર-29, ગાંધીનગર-382030, ફોન નં - 07923977407, ફેક્સ-07923260076  
Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076  
Email: [registrar@cug.ac.in](mailto:registrar@cug.ac.in), website: [www.cug.ac.in](http://www.cug.ac.in)



## राजभाषा नियम 5

हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात		
1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6	प्रेस चिज़मियां	Press Release/Communiques
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञायां	Licences
10	निविदा प्रारूप	Tender Forms
11	अनुज्ञा पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notifications
14	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

## राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)

नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007, तथा 2011)

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--

- a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
  - b. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
  - c. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
    - a. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;
    - b. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-
    - c. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
    - d. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और
    - e. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;
    - f. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
    - g. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;
    - h. 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;
    - i. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तरखण्ड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
    - j. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
    - k. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
    - l. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।
  3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-
  1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में

होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

## 2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

- a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा: परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे;
- b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।
3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।
4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-
  - केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;
  - a. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;
  - b. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;
  - c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;
  - d. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

परन्तु जहाँ ऐसे पत्रादि--

- i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;
- ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

## 5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

## 6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

## 7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

## 8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना -

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।
3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

## 9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

- a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

- b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
- c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

## 10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1. a. यदि किसी कर्मचारी ने-
  - (i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
  - (ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीका योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
  - (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;
  - तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।
4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

## 11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

## 12. अनुपालन या उत्तरप्राप्तियाँ

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान वग वह उत्तरदायित्व होगा कि वह--
- यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और
  - इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभाउकारी जांच के लिए उपाय करे।

2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

[भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: अगस्त, 2007

अधिसूचना

का.आ. (अ). -- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2007 है।
  - ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में -

नियम 2 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"क्षेत्र क" से बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।"

[(फा.सं. I/14034/02/2007-रा.भा.नीति-1)]

(पी.वी.वल्सला जी.कुट्टी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित।

पृष्ठ संख्या 576-577

दिनांक 14-5-2011

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

\*\*\*

नई दिल्ली, 4 मई, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि. 145 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.

- i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2011 है।
- ii. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के – नियम 2 के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"क्षेत्र ख" से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

[फा.सं.।/14034/02/2010-रा.भा. (नीति-1)]

डी.के.पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.संख्यांक 1052 तारीख 17 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि.संख्यांक 790, तारीख 24 अक्टूबर, 1987 तथा सा.का.नि.संख्यांक 162 तारीख 03 अगस्त, 2007 द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।